

solution; This House resolves that a Committee on Official Language shall be constituted."

*The motion was adopted.*

17.16 hrs.

#### ELECTION TO COMMITTEE

##### COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

MR. CHAIRMAN: We now go to item No. 22—Contingent Notice of Motion for Election to Committee. Shri Mehta.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): "That in pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, twenty members from amongst themselves to be members of the Committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and

submit a report to the President making recommendations thereon in accordance with sub-section (3) of Section 4 of the said Act."

*The motion was adopted.*

17.17 hrs.

#### BANKING SERVICE COMMISSION BILL

MR. CHAIRMAN: We now go to the next item of legislative business. Shrimati Rohatgi.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, the Bill for consideration seeks to set up a Service Commission for recruitment of personnel for the public sector banks. The objects and reasons accompanying the Bill set out the purpose, but as this is an important piece of legislation, I wish to place before the House the considerations that have weighed with the Government in bringing forward this legislation.

Manpower planning and development have assumed increasing importance after nationalisation of the major banks. The task before the public sector banks is to take banking to unbanked areas and service the diverse productive activities which had been traditionally outside the purview of the organised banking sector. Without the support of qualified manpower, the public sector banks will be greatly handicapped in fulfilling their basic tasks. Every

[*Shrimati Sushila Rohatgi*]  
year, with the massive branch expansion programmes, about 20-25 thousand youngmen and women are entering the services of the various public sector banks. It is therefore of the utmost importance that their recruitment procedures are properly streamlined so that persons with requisite skills and talents come to be employed by them. Moreover, as these are public institutions, the procedures have to be more objective and impartial.

17.18 hrs.

[*SHRI G. VISHWANATHAN in the Chair*]

With this object in view the recruitment procedures in the public sector banks have been under review for some time. The Banking Commission covered, among other things, the important aspects relating to recruitment and focussed its attention on the need for rationalisation of recruitment policies in the banks, through proper control over the quality of intake at the clerical level and induction of fresh blood at the level of junior officers. The Commission has therefore suggested the establishment of an independent Commission on the lines of the U.P.S.C. for the recruitment of staff at the clerical and junior officers level for all public sector banks. Government has accepted the recommendation of the Commission and the Bill seeks to give shape to it.

The Scheme of the Bill is simple and the notes on clauses explain the various provisions of the Bill. I would only highlight some of its important provisions. The Bill seeks to set up on the lines of UPSC a recruitment agency to be called the Banking Service Commission as an independent, impartial and highpowered body. The Commission will consist of the Chairman and not more than eight members. Out of these members, not less than half shall be persons with at least 10 years' experience in banking and finan-

cial institutions. The Chairman and members will have a fixed term of office and would be ineligible for appointment after retirement to any post in any Government or banks or financial institutions.

The jurisdiction of Commission will cover all the public sector banks, namely, State Bank of India, its seven Subsidiaries and the fourteen nationalised banks in the matter of recruitment of clerical cadre and officers at the junior level. It will bring about uniformity in the qualifications and eligibility standards for recruitment among all these banks. Moreover, recruitment by an independent, high-powered outside body will remove the complaints one often hears of favouritism and nepotism in recruitment. The scheme of recruitment will be devised by the Commission in a way that takes cognizance of the needs of the banks for persons from different regions. The Bill provides that, while notifying the vacancies to the Commission, the banks will indicate not only the total number of vacancies required but also furnish the number of vacancies which exist or likely to exist in a state or group of states. The Commission will have regional offices and will organise recruitment in a systematic manner.

As the hon Members are aware, the system of induction of direct recruitment at the junior officers' level varies from bank to bank. In a few banks the existing agreements do not allow for any recruitment of officers at the operational level. The Bill seeks to remove these restrictions and provides that at least 25 per cent of the vacancies at the junior officers' level will be arranged by the Commission.

We have also taken care to see that in its recruitment policies the Commission reflects as far as possible the healthy norms and standards which have been worked out by the Government for recruitment to public services. The public sector banks today follow reservation to the extent of 15 per cent

for Scheduled Castes and 7.5 per cent for Scheduled Tribes in their recruitment. The Bill makes a special provision requiring the Commission to observe from time to time such reservation as the Government follows for recruitment to public services.

The expenditure of the Commission will be met by participating banks themselves and it will not involve any expenditure to the public exchequer. The Commission would formulate its own procedures on various matters connected with recruitment and placement of candidates in different banks. These are matters of details which the Commission will have to work out after it has been set up. Certain amount of flexibility has been provided by allowing the Commission to lay down these procedures by means of regulations to be framed under the Act.

I will not take any more time of the House by dilating on the details of the Bill. I hope the hon. Members will accept the basic idea behind the Bill. The establishment of a Commission, on the lines envisaged, will impart objectivity and impartiality in the recruitment procedures of the banks by prescribing uniform qualifications and eligibility standards applicable in all public sector banks, and thereby help to tap the right type of persons for the banking industry.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री कवला मिश्र "मधुकर" (केसरिया) :  
हिन्दी की एक कहावत है, अगर रात का भूला सुबह घर पहुंच जाए तो उसको भूला नहीं

कहा जाता है। इस बिल को बहुत पहले माना चाहिये था। सरकार के बहुत से विभागों, राज्य सरकारों के बहुत से विभागों तथा रेलवे के लिए इस प्रकार के कमिश्नर बने हुए हैं जिनके लिए उनके अधीन विभागों में नियुक्तियां होती हैं। बैंकों में भी नियुक्तियों के मामले में बहुत ज्यादा गोलमाल होता था। इसकी रिपोर्टें भी मिलती रहती थी। ऐसी भी रिपोर्ट मिली थी कि पंजाब नेशनल बैंक में केवल सिखों को भर्ती किया जाता है, दूसरों को नहीं किया जाता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सिखों की भर्ती न हो। हमारी पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है, रिलिजन में विश्वास नहीं करती है। लेकिन इस प्रकार की जो गड़बड़ियां होती हैं उनको देखते हुए इस प्रकार के कमिशन की स्थापना बहुत पहले हो जानी चाहिये थी। ऐसा भी देखने में आया है कि जहां किसी बैंक का हेड क्वार्टर हुआ उसी राज्य के लोगों की बहालियां अधिकतर हो जाती थीं, दूसरों की नहीं होती थीं। अब जब आप कमिशन की स्थापना करने जा रहे हैं हम आशा करते हैं कि इससे इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी और योग्यता के आधार पर लोगों की बहालियां होंगी। इस वास्ते इस बिल को लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप देखें कि सेंट्रल बैंक का आफिस हैदराबाद में है। वहां पर रिज्यूमेंट करने के लिए एडवरटाइज किया गया था। लोगों ने इम्तहान दिया। इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी चर्चा की थी कि एक ही पार्टी के लोगों की बहाली हो रही है। यह जो चीज चलती है यह बहुत ही खराब है। इम्तहान होने के बाद भी अब तक उसका रिजल्ट नहीं निकला है। आपके अधिकारियों को किसी पार्टी के प्रभाव में आकर काम नहीं करना चाहिये। बैंकों में अगर जनसंघ के लोग, भार० एस० एस० के लोग, प्रतिक्रियावादी तत्वों के लोग प्रविष्ट न हो जाएं इसकी

[श्री कमला मिश्र 'मधुकर']

आपको विशेष ध्यान देना चाहिये था। उनके प्रभाव में आकर आप काम करें, यह ठीक नहीं है। यह बहुत ही बदनसीबी की बात है। मैं आशा करता हूँ कि अब जब कमीशन की स्थापना हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल बैंक हैदराबाद ने जो इन्वेंट्रिज किया था उसका रिजल्ट निकलना चाहिये, उस में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

आपने बिल में रिजनल आफिसिस खोलने की बात कही है। आपने कहा है कि विभिन्न रिजर्व में आप इस कमिशन की शाखाएँ खोल सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर राज्य में इसकी शाखा खोलने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। अब तो हर राज्य में आपके नेशनलाइज्ड बैंक काम कर रहे हैं। ऐसा आपने किया तो किसी राज्य को शिकायत नहीं रह जायेगी कि इस बैंक में इस स्टेट के अधिक लोग हैं और हमारी अपनी स्टेट के बहुत कम लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बिल में आप इस बात का प्रावधान करें कि हर राज्य में कमिशन की शाखाएँ खोली जाएँ ताकि जो बैंकवर्ड इलाके हैं उनको भी शिकायत का कोई मौका न मिले और यह कहने का मौका न मिले कि हमारी उपेक्षा हो रही है। कभी इस सिलसिले में बंगाल की चर्चा होती है, कभी बिहार की, कभी उत्तर बिहार की और कहा जाता है कि इन राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व बैंकों की नौकरियों में नहीं दिया गया है। इस वास्ते इस प्रकार की शिकायत करने का मौका किसी को न मिले इसके लिए जरूरी है कि हर राज्य में आप कमिशन की शाखा खोलने की व्यवस्था आप इस बिल में करें।

बहुत ही खुशी की बात होती अगर इस बिल के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स और फारेन बैंक्स को नेशनलाइज्ड करने का भी बिल लाने। देश ने एक नया मोड़ लिया है और एक नया अध्याय शुरू किया है। आपने

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय इन दोनों श्रेणियों के बैंकों को छोड़ दिया था। जब बैंक नेशनलाइजेशन का सवाल उठा था उस समय इसकी मांग की गई थी कि इन बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये क्योंकि यह देश के हित में होगा। लेकिन आपने इनको छोड़ दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल लाएं ताकि जो बचे हुए प्राइवेट बैंक हैं और फारेन बैंक हैं उन का भी राष्ट्रीयकरण हो सके।

इस बिल के द्वारा आप पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको रोकना चाहते हैं। क्यों नहीं इस बिल के दायरे को विस्तृत किया जाता है और कहा जाता है कि इसको तमाम बैंकों पर लागू किया जाएगा ताकि उन बैंकों में जो गोलमाल होता है, जो घोटाला होता है, जो पक्षपात होता है उसको भी रोका जा सके। आप कोई संशोधन लाएं ताकि इसको तमाम बैंकों पर लागू किया जा सके।

जूनियर अफसरों के लिए आपने प्रोमोशनल एवेन्यूज 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत करने का इस बिल में प्रावधान किया है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। प्रोमोशनल एवेन्यूज क्लास तीन और क्लास चार के एम्प्लाईज के लिए आपको बढ़ाने चाहिये थे और उनको आगे बढ़ने का और ज्यादा मौका दिया जाना चाहिये था।

आपने कहा है कि टेम्पोरेरी एक्वाइंटमेंट बैंक छः महीने के लिए कर सकते हैं। इस मामले में भी आपने पक्षपात के सुराख खुले रखे हैं। आप कहते हैं कि छः महीने के बाद वह मामला कमिशन के पास जाएगा। छः महीने बीत जाने के बाद दुबारा बैंक किसी की नियुक्ति कर देंगे। इस वास्ते आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि नियुक्तियों के मामले

में बिल्कुल निष्पक्षता बरती जा सके और समाज नियुक्तियों का प कमिशन के जरिये करा जाए ।

जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है आपने कहा है कि आप ज्वायंट मैनेजमेंट के सिस्टम को चलाएंगे । इस एमरजेंसी के बाद आपने एक नया अध्याय शुरू किया है । आप ज्वायंट मैनेजमेंट की बात सोच रहे हैं । कमिशन में भी आप क्यों नहीं मजदूरों के नुमाइन्दों को लेते हैं, उन को प्रतिनिधित्व देते हैं । हर चीज आप ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ न दें । हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर जब बात छोड़ दी जाती है तो गड़गड़ियां होती हैं, पक्षपात होता है, घूसखोरी होती है और इसकी बहुत सी मिसालें भी सामने आई हैं । इस वास्ते ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है । कमिशन का जो सेंटअप है वह डेमोक्रेटिक होना चाहिये और उसमें मजदूरों के नुमाइन्दे भी लिए जाने चाहिये ।

बहालियों के मामले में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और माइनोरिटीज के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होना चाहिए । जो प्रावधान आपने रखा है वह नाकाफी है । आपको परसेंटेज स्पेसिफाई करना चाहिये और कहना चाहिये कि इतने परसेंट हरिजनों, पिछड़ी जातियों, माइनोरिटीज के लोगों को सर्विस में अवश्य लिया जाएगा ।

आज स्थिति यह है कि इन तमाम सर्विसिज में ऐसे लोग आ जाते हैं, जो पिछड़े समाज के नहीं हैं, बल्कि अधिकांश वही लोग हैं, जो ऊंचे वर्गों से आते हैं । इस विधेयक में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज, और माइनोरिटी कम्युनिटीज के लिए प्रावधान होना चाहिए था, ताकि बहालियों में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके । यह देखा जाता है कि हरिजनों, भूमिहीनों या अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए भारत सरकार से जो सुविधायें मिलती हैं, उन का लाभ दूसरे लोग उठा लेते हैं । इस

लिए यह आवश्यक है कि इन वर्गों के बच्चों के लिए अवसर और सुविधायें बढ़ाई जायें, ताकि उन को सही मानों में यह महसूस हो सके कि यह सरकार केवल हरिजनों, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और माइनोरिटी कम्युनिटीज की बात ही नहीं करती है, बल्कि उस को अमल में भी लाती है ।

मैं चाहूंगा कि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया जाये, जिस से सरकारो विभागों और मंत्रालयों के समान बैंकों में भी पिछड़े हुए लोगों के लिए नियुक्तियों की एक निश्चित सीमा तय की जा सके । यदि सरकार इस बिल में इस आशय का प्रावधान लाती और निजी तथा विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था करती, तो हम समझते कि यह बिल वास्तव में पूर्ण और उपयोगी है । फिर भी इस में जितना कदम उठाया गया है, वह सही है और मैं इस का समर्थन करता हूँ ।

SHRI Y. S. MAHAJAN (Buldana): I raise to support the Bill brought forward by the hon. Deputy Minister in the Ministry of Finance.

Banking is a service of vital importance to industry, commerce and agriculture. It is concerned with the creation of credit money and its distribution between various users such as industry and agriculture or between institutions and individuals. In fact, the smooth working of a modern economy depends on the proper regulation of credit with which the banks are concerned. The question, therefore, of recruitment of the personnel of banking institutions assumes great importance.

The Banking Commission had recommended the establishment of such a Commission in its Report in 1972. In fact Government have been rather late in bringing forward this very important and necessary piece of legislation. When the Banking Commission reported, that is, at the end of 1971, the commercial banks in India had a network

[ Shri Y. S. Mahajan ]

of 12,000 branches and the personnel exceeded 2,30,000. According to an estimate made by the National Institute of Bank Management, the total of bank personnel was expected to increase upto 3,38,000 by the beginning of 1975. The 15 public sector banks today recruit about 18,000 educated youths for clerical and allied jobs and about 1500 officers from the most talented of our graduates and post-graduates. The ratio of officers to clerical staff which was about 1 to 3.5 in 1970 is expected to go up to 1 to 1.5 by 1985.

Before nationalisation, some of the big commercial banks had made some arrangements of their own for recruitment of their staff. The Institute of Bank Management and the Reserve Bank of India through the Bankers' Training College run some short-term and long-term courses for recruitment and training of bank staff. But these arrangements are not adequate even to meet the requirements for recruitment of higher cadres. The largest proportion of banks staff consists of clerks and cashiers. The recruitment policies followed by most of the Indian banks before nationalisation were not based on either scientific lines. In several cases even minimum qualifications were not insisted upon. The Banking Commission has reported that in many cases people who had not even passed matriculation examination were recruited as clerks. There was no proper evaluation of the aptitude or capacity and very often caste and relationship determined the choice of candidates. Lack of training facilities however aggravated the problem and banks found themselves with staff which had neither aptitude nor ability, to carry out the jobs assigned to them. The Bill therefore is welcome. It seeks to provide for proper methods of selection for recruitment of clerical staff and other cadres and junior officers. It provides for the establishment of a body corporate to be called the banking service commission. It shall be the duty of the Commission to hold com-

petitive examinations to recruit people for clerical and allied cadres, junior officers cadre and such other officers' cadre as the Central Government may by notification specify. It shall consist of a Chairman and 8 persons who in the view of the Government are men of integrity, and ability and who have experience of finance and business administration. The Bill rightly attaches great importance to selection of people for the clerical cadre because the clerical personnel constitute the largest proportion of the total manpower and it is they who reach the banking service to the people. Rapid expansion of banking ensures further that many of them will soon get promotion to the officers' cadre. It has been estimated that every clerk can hope to reach the officer's level in 10 or 12 years time. Every clerk is therefore a potential officer. But to be effective, recruitment should attempt to attract appropriate skills and attitude and search for suitable talent should not be restricted to the first point of entry in the bank at the clerical level. It should also be extended to attract sufficient number of persons who possess executive skill. With the functional enlargement of the banks, they require the service of experts, such as agricultural scientists and those who are experts in engineering. Recruitment of such persons should also be considered by the banking commission. A provision in the Bill enables the Government to increase the proportion of such junior staff from 25 per cent to 33.3 per cent. In my view it is a welcome provision.

There is a provision that a certain percentage shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This percentage has to be determined according to the general principles and also the requirements of the banks. One provision says that the Commission will have certain advisory functions. It is an important provision. We know how in Government service very difficult problems of promotion and seniority arise. It is better that they are solved by a third body rather than the

superior officers who have sometimes prejudices against people working under them. I hope this provision will be used for that purpose.

Finally, there is a last clause which says that the Government may extend the provisions of this Bill to other banks if they so desire. If the banking service commission could cover the requirements of other commercial banks also, so much the better. We will have uniform standards for recruitment of personnel in all the banks. With these words I support the Bill.

श्री शिवनाथ सिंह (सुन्नु) : सभा-

पति महोदय, बैंकिंग कमीशन बिल बहुत समय के अनुसार लाया गया है और मैं इस का स्वागत करता हूँ। हमारे देश के अन्दर सर्विस रेक्यूटमेंट की जो हालत है सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि जिस प्रकार का रेक्यूटमेंट होना चाहिए और देश के पढे लिखे युवकों को जो नौकरी का अवसर मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। खास तौर से जो बैंकिंग बिजनेस आपका है, एल० आई०सी० है और जिन जिन सर्विस को इस बिल के द्वारा कवर कर रहे हैं वह तो इस प्रकार के धंधे थे जहाँ कि एक साधारण आदमी को घुसने का अवसर नहीं था। बैंकों के नेशनलाइजेशन के पहले बैंकों में जिन लोगों का प्राधिपत्य था उन्हीं के नजदीकी, उन्हीं के कृपापात्र उन सर्विसेज में जा सकते थे। दूसरे साधारण आदमी बैंकिंग सर्विस में नहीं जा सकते थे। यही हाल आपकी इन्श्योरेंस कम्पनीज का था। नेशनलाइजेशन के बाद होना यह चाहिए था कि वहाँ सर्विस रेक्यूटमेंट जो हो वह सार्इटिफिक तरीके से हो और उसमें देश के होशियार युवकों को अवसर मिले। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद भी वह आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई और इसलिए बैंकिंग कमीशन ने काफी अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट दी जिस के अनुसार बैंकिंग सर्विस कमीशन की स्थापना करने जा रहे हैं।

इस बिल के द्वारा कुछ तो सुधार की तरफ कदम उठाए गए हैं लेकिन फिर भी सम्पूर्ण रूप के जो खासी रेक्यूटमेंट में थी वह दूर नहीं हो पाएगी। इसके ऊपर मैं आगे प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। आज हमारी जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग है एल० आई०सी० है इनमें काम करने वाले लोगों की तनख्वाह और दूसरे बर्ग के लोग जो दूसरी जगह नौकरियाँ करते हैं चाहे सरकारी या दूसरी कोई नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाहों में बहुत बड़ा फर्क है। यह फर्क हमें मिटाना पड़ेगा। जब तक इस फर्क को हम कायम रखेंगे देश में समाजवाद की कल्पना अधूरी रहेगी क्योंकि आज बैंकों का विस्तार देश के कोने-कोने में हो रहा है। छोटे-छोटे शहरों में बैंकों के दफ्तर खल रहे हैं। एक छोटे से कस्बे में बैंक का चपरासी जहाँ पांच सौ और छः सौ रुपये प्राप्त करता है वहाँ उसी गाँव में रहने वाला हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल का अध्यापक उस से कम तनख्वाह पाता है। लोगों के मन के अंदर एक जलन होती है, टीस होती है कि आखिर क्या बात है? इसी देश के हम नागरिक हैं, इन से कम काम नहीं करते हैं और फिर भी इन की तनख्वाह हम से अधिक है। इस फर्क को आपको मिटाना पड़ेगा। लेकिन इस बिल में उसकी तरफ कोई संकेत नहीं किया गया है। इन डिफरेंसेज को हमें अन्त में मिटाना पड़ेगा। चाहे तो आप दूसरे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह और बढ़ाएँ या फिर इन के ऊपर रोक लगाइए। बार-बार बैंकिंग में काम करने वाले साथी चाहे वह कर्जुरिकल लेवल पर हों या दूसरे लेवल पर हों चाहे एल०आई०सी० के हों, एमजॉसी के पहले स्ट्राइक करते थे और स्ट्राइक के बाद में उसी अनुपात में जिस अनुपात में उनकी तनख्वाह होती थी उन की बढ़ोत्तरी भी हो जाती थी। और भी अधिक उन को मिलने लग जाता था। यह एक बहुत बड़ी दुर्गुण समाज के अन्दर फैला

[श्री शिव नाथ सिंह]

हुया है। इस के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और यह बैंकिंग सर्विस कमीशन इस पर थोड़ा बहुत अंश लगा पाएगा तो हम सोचेंगे कि इस विधेयक को पास करने का अच्छा अवसर हुआ है।

इस बिल के द्वारा आप ने चाहा है कि रीजनल आफिसों को भी कमीशन बनाए। वह एक स्टेट का हो सकता है और एक से अधिक स्टेट्स का भी हो सकता है। मैं मंत्री महीदय से निवेदन करूंगा कि आज बैंकों का काफी विस्तार हो चुका है और यह जो सेंट्रल-लाइज्ड कमीशंस हैं चाहे रेलवे का रेक्यूटमेंट का कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो इन का हमें बहुत ही कटू अनुभव है। आप को करना यह चाहिए कि हर स्टेट में इस का एक रीजनल आफिस रखें ताकि उम स्टेट के लोगों को वहां रेक्यूटमेंट का अवसर मिल सके आज हम देखते हैं कि रेलवे का रेक्यूटिंग आफिस जो है पूरे वेस्टर्न रेलवे का बम्बई में है या और कहीं है। उस में पास पास के लोगों को रेक्यूटमेंट का अवसर मिल पाता है लेकिन दूसरी स्टेट वालों को नहीं मिल पाता है। यह कोई संकीर्णता की बात नहीं है। हर नागरिक जो जिस प्रांत में रहता है उस को यह अधिकार है और अधिकार होना भी चाहिए कि कुछ सर्टेन लिमिट तक की नौकरियां उस प्रांत के लोगों को मिलें। वह आज नहीं मिल पा रही हैं और ठीक तरह अगर बैंकिंग कमीशन का कार्यालय सेंट्रल-लाइज्ड आप ने रखा या रीजनल आफिसों को दो तीन स्टेट्स के रखें तो उन्हीं क्षेत्रों के पास पास के लोगों को रेक्यूटमेंट का लाभ मिलेगा और दूसरों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हर स्टेट में इस का रेक्यूटमेंट आफिस रखना चाहिए।

दूसरी बात—आप ने संरक्षण रखा है शीड्यूल्ड कास्ट और शीड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। लेकिन आज देश के दूसरे बैंकिंग का एक दृष्टिकोण ही बदल गया है। जैसा कि हमारी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कहा है और हमारे फाइ-

नेंस मिनिस्टर ने भी बार-बार कहा है कि बैंकिंग को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वह उन लोगों की होनी चाहिए जो कि देहात में फले हुए हैं, गरीब हैं, जिन के पास साधन नहीं है और जो अपने लिए लोन लेते हैं लेकिन रिटर्न के लिए उन के पास कोई जमानत नहीं है। उन लोगों के लिए बैंकिंग सर्विस होनी चाहिए। तो उन लोगों का भला वही कर सकते हैं जो उस जगह से, उस तबके में आते हैं। आज आप रेक्यूटमेंट उन लोगों को देते हैं जो साधन सम्पन्न लोग हैं, अच्छे घरानों से आते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उन को उन लोगों की पीड़ा का पता नहीं है। इस वक्त उन को लोन देने का सबाल उठेगा वे कहेंगे कि तुम्हारे पास रिटर्न के लिए गारण्टी क्या है? इस दृष्टिकोण को हमें बदलना पड़ेगा। और अगर उस दृष्टिकोण को सही रूप में हम कार्यन्वित करनी चाहते हैं तो उन लोगों में से रेक्यूटमेंट करना पड़ेगा जो उन की भाषा जानते हैं, उन का रहन-सहन जानते हैं जिन को कि हमें लोन देना है जिन के बनिफिट के लिए हम दूर-दूर तक बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार कर रहे हैं। उन शाखाओं में उन लोगों में से, उस जगह रहने वालों में से उन का रेक्यूटमेंट करना होगा। तब तो सही दृष्टिकोण जो हम लाना चाहते हैं वह आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए उन एरियाज के लिए उन बैंकवर्ड लोगों के लिए भी जिन के हित के लिए ये बैंक हम बना रहे हैं, उन तबकों के लोगों के लिए भी संरक्षण होना चाहिए वरना रेक्यूटमेंट में आप की पालनी आज तक जैसी रही है वही रहेगी तो समाज के ऊंचे तबके के लोग ही इस बैंकिंग से फायदा उठा पाएंगे और सही दृष्टि से आप का काम कार्यान्वित नहीं होगा। इसलिए उन लोगों के लिए भी संरक्षण होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

इस के साथ साथ आपने यह चाहा है कि रेक्यूटमेंट में गफलत नहीं हो। लेकिन जैसा कि अभी मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, आप ने क्लॉज 15 और 13



भी रखा है। क्लाज 13 और 15 में आपने रखा है कि एक साल के लिए टेम्पोरेरी एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेड बैंक कर सकता है। इस का बहुत मिसयूज होगा। जैसा आज तक होता आया है वही आगे भी चलेगा। और फिर वह इसलिए होगा कि वह एक साल के लिए टेम्पोरेरी रख लेंगे और फिर जिस वक्त भी वह अपनी डिमांड देंगे इस कमीशन को तो कमीशन रेक्यूटमेंट करेगा उन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए उन की डिमांड के अनुसार उनके प्रस्क्राइब्ड तरीके से। उसमें वह यह कहेंगे कि हम को इस एक्सपीरियेंस का आदमी चाहिए, इतना पढ़ा लखा हो लेकिन उसकी बारह महोने का एक्सपीरियेंस होना चाहिए तो फिर वही लिया जायगा जिस का टेम्पोरेरी एम्प्लॉयमेंट किया था। वही लोग इसमें आएंगे। बैंकडोर एंट्री होगी। इसलिए इस पर आप पाबन्दी लगाइए कि कोई भी रेक्यूटमेंट टेम्पोरेरी नहीं होगा। टेम्पोरेरी एम्प्लॉयमेंट रखेंगे तो वही लोग आएंगे।

दूसरी बात आपने कही कि इन सर्विसेज के लिए आप कमिशन नियुक्त कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यदि वह कमिशन रेक्यूटमेंट नहीं कर पा रहा है तो बैंक को अधिकार है कि वह टेम्पोरेरी तरीके से दूसरे लोगों की रख ले। या उस के द्वारा चुनिंदा जो लोग हैं उनको यदि बैंक सर्विसमें नहीं लेना चाहें तो उनको उसके लिए भी छूट है। मेरी मान्यता है कि यह दोनो ही बन्द होना चाहिए। हम जिस परपज के लिए एक कमीशन नियुक्त करने जा रहे हैं उस को किसी भी फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड दे दी और जिस का घंघा ही सेलेक्शन करने का है वह एक निश्चित अवधि के अन्दर सेलेक्शन नहीं कर पाता है तो यह उस के लिए एक बड़ी डिस्कवालिफिकेशन है, उस कमीशन को एग्जिस्ट करने का अधिकार नहीं है। उनको आप छूट देंगे तो जिन लोगों की वह मदद करना चाहते हैं, जिन लोगों का वह प्रभुत्व करना चाहते हैं उस के लिए उनको छूट रहेगी। इसलिए इन दोनों प्रावधानों

का आप को हटाना चाहिए और सेलेक्शन के बाद में यह बिल्कुल पाबन्दी रहे कि कमीशन के मार्फत ही आदमी लिया जायगा।

जो कैटेगरी सर्विस कमीशन के मार्फत रेक्यूट होगा उसमें आपसे क्लेरिकल और दूसरे छोटे आफिसर्स को रखा है। जब इस प्रकार का हाईपावर कमीशन हम सेंट्रल लेबल पर बनाने जा रहे हैं, जो आज तक के कमीशंस हैं, उसी तरह का अधिकार प्राप्त एक कमीशन हो तो जो सर्विसेज हम बैंक्स के लिये रिक्लूट करना चाहते हैं—प्रमोशन से ही तो दूसरी बात है—उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, कैशियर या क्लर्क से सारे रिक्लूटमेंट क्यों करना चाहते हैं। इस से उनको लूप-होल मिल जायगा। जो आज क्लेरिकल जॉब में हैं, किसीको हेडकैशियर बना देंगे या कोई दूसरा अफसर बना देंगे। तो जब आप हाई-पावर कमीशन बनाते हैं तो उसी की मारफत तमाम आफिसर्स का सिलैक्शन क्यों न हो। मेरी मान्यता है कि तमाम प्रकार का रिक्लूटमेंट जो बैंकिंगमें हो, चार-पांच कैटेगरीज आपने रखी हैं, एल०आइ०सी०, यूनिट ट्रस्ट, इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट में इन्वहटमेंट कारपोरेशन ये सब सरकारी हैं, इन के अलावा जो बैंक्स हैं उनका रिक्लूटमेंट इसकी मारफत होना चाहिए। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्लेरिकल और दूसरे जूनियर अफिसर्स के अलावा कुछ दूसरी कैटेगरीज भी हो सकती हैं जो इसकी परब्यू में नहीं आयेंगी इस लिये इस लूप-होल को दूर करने के लिये कुछ करना चाहिए, ताकि आज तक रिक्लूटमेंट में जो घंघली चल रही थी, वह न चले।

मेम्बरों की योग्यता आपने रखी है—उनकी संख्या रखी है, उस के बाद आपने यह

[श्री शिवनाथ सिंह]

रखा है कि उस के प्राथमिक मेम्बरों की क्वालिफिकेशन यह होती चाहिए—

“Has special knowledge or practical knowledge of finance economics or business administration or business management or any other matter.”

मेरा निवेदन है कि इस में जो क्वालिफिकेशन रखी है आज तक जो होता रहा है, उस में और इस में कोई फर्क नहीं होगा। कुछ मेम्बर ऐसे भी रखें जो रूरल-वायस्ड हों, जो देहात के लोगों की दिक्कतों को जानते हों, कि वहां किस प्रकार का एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, लड़कों की शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, ग्रेजुएट्स स्टैंडर्ड क्या है, किस प्रकार से वे पुट-अप कर सकते हैं। इन बातों का उस को ज्ञान हो, वह रूरल-वायस्ड हो—इन सब बातों को दृष्टि में रखकर आप सिलेक्शन करेंगे तब तो ठीक है, वरना आप ने जो क्वालिफिकेशन मेम्बर के लिये रखी है उससे आज तक और आगे आने वालों में कोई फर्क नहीं होगा। थ्यूरोक्रेटिक एटियूड रहेगा, जिस में रीजनल—इम्बैलैसेज होंगे और दूसरे इम्बैलैसेज पैदा होंगे।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंजाब नेशनल बैंक में सभी सिख हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा-बहुत स्थानीय पुट होता है। हायैस्ट लेवल में जिन के हाथ में रिज्यूमेंट है, उनका वायस चलता है, तो इसको दूर करने के लिये कि वे स्थानीय भी न हों, और जो अफसर वहां हैंड हों, जिनका असर हो, उनको वायस भी न चले, इसके लिये रूरल वायस होना जरूरी है। आपको कमीशन में ऐसे मेम्बर रखने चाहियें जिनसे देहात के लोगों को यह महसूस हो सके कि हम जायेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है। आज वे यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाते हैं तो इन्फिरियोरिटी काम्प्लेक्स में जाते

हैं। वे समझते हैं कि हमारा कोई आदमी वहां नहीं है, इसलिये हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इसको दूर करने के लिये आवश्यक है कि जो क्वालिफिकेशन आपने रखी है उसमें रूरल वायस भी रख दें। ऐसा आदमी वहां की दिक्कतों को, प्राबलम्ब को समझ सकेगा और इस तरह से बैंकिंग को सही दिशा मिल सकेगी। इस दृष्टि से इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके, अभी हो सके तो अभी करें, अभी न हो सके तो प्रमेडमेंट के द्वारा करें, लेकिन गरीब देहात के लोगों का भी रेक्यूमेंट हो सके, इस प्रकाश का आश्वासन उनको मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : जनाब चेयरमैन साहब, सरकार ने एक बैंकिंग कमीशन बनाया, जिसकी एक सिफारिश मानी गई। गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्विस कमीशन बनाना है, उसमें तजुर्बेकार, ईमानदार, एडमिनिस्ट्रेशन को जानने वाले, दस साल का जिनका तजुर्बा हो, पब्लिक सैक्टर में या किसी दूसरे इंस्टीचूशन में जिन्होंने खिदमत की हो, यह क्वालिफिकेशन उसमें रखी गई है। ठीक बात है—यह जरूरी है ताकि जो उम्मीदवार लेने हैं, उनको वे पूरी तौर पर क्वेश्चन कर सकें, उनकी ठीक ढंग से नाप तोन कर सकें। मुझ से पहले बोलने वाले दोस्त ने भी अभी कहा है कि ऐसी एबिलिटीज वाले तो यहीं से मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या किया जाय। तजुर्बेकार आदमी चाहियें, उन्हीं को लेना होगा। इन से पहले बोलने वाले हमारे सी० पी० आई० के दोस्त ने कह दिया कि पंजाब नेशनल बैंक में सारे सिख भर दिये हैं। मैं जब से कांग्रेस में भरती हुआ हूँ, पिछले चालीस साल से जैसा मेरा एटीचूट रहा है, कोई भी आदमी इस बात को प्वाइन्ट-आउट नहीं कर सकता है कि किसी कम्प्लेक्स बात को दूर से

भी कोई वास्ता रहा हो, लेकिन गलत बात कहने से क्या फायदा है कि वहाँ सिर्फ सरदार ही हैं। आप नाप तोल करें, वहाँ जाकर देखें, ऐसी बात नहीं है। किसी और बैंक से होंगे, आपको गलती लग गई है। पंजाब नेशनल बैंक में अपर-स्ट्रेटा के जितने चलाने वाले अफसर हैं, सभी गर पंजाबी हैं। लेकिन इस बात के पीछे आप क्यों जाते हैं। जैसा कहा गया है, ऐसी 22 बैंक नेशनल सैक्टर में हैं और उनमें 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनमें सारी चीजों की देखभाल करने के लिये और वहाँ भरती करने के लिये फँसला करना है। तो रीजनल बात जो आपने कही है, मैं उससे बिल्कुल इतिफाक नहीं करता। आप दो-तीन स्टेट्स का एक ग्रुप बना दें, हर स्टेट में रीजनल आफिस खोल दें और उसमें सारी भरती करें तो आप को पता चलेगा कि अगर आपने रिजन बनाना है तो वह जितना छोटा होगा, उतना ही उम्मीदवारों को आने में, इम्तिहान देने में, एक्जामिनेशन देने में सहूलियत होगी। जितनी रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, उनको आप देख सकेंगे। वहाँ एक जो दस साल का तजुर्बा रखने वाला चेअरमैन होगा, वह इस बात का भी ख्याल रखेगा कि जिस जगह पर मैं इम्तिहान लेने जा रहा हूँ वहाँ इस ढंग के जो लोग हों, उनकी लेना है। इसलिये मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस के आठ मेम्बर होंगे। कौन होंगे? उनको गवर्नमेंट सिलैक्ट करेगी। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ—मुझे एक खदशा है और वह खदशा यह है कि आज के माहौल में हमवे आफिसर्ज दे देते हैं जिनके किरदार के बारे में सरकार को मालूम भी हो तो भी वह उसको आगे चला देते हैं, किसी आला आफिस पर जाने के लिये। मैं खुली बात कहना चाहता हूँ—इसी सेक्टर में, सर्विसिज में, ऐसे लोग

बैंड हैं जिन्होंने वागें-इहल बड़ी ऊँची आवाज से कहा था कि हम आनन्द मार्गी वे कहते थे—हम यह हैं, हम वह हैं, कम्यूनल-बाडीज के साथ अपना वास्ता जोड़ कर बड़े जोर-शोर से ऐसी बात कहते थे। आप इसको साट-आउट करें। ऐसे आदमी कहीं न आ जाय जो कम्यूनल तौर पर बदतरीन किस्म का जहर फैलायें, खासतौर से नई पीढ़ी जो आप ला रहे हैं, उनमें दाखिल न हो जाय। ऐसी हालत में जो उम्मीदवार उनके सामने आयेंगे उनको चुनने का जो उनका जहन होगा, वह वायस्ड होगा, जहरवाला होगा, यकतरफा होगा। तो ऐसे आदमियों का चुनाव न हो जाय, यह देखना जरूरी है। मैं आप को वार्निंग देता हूँ—पीछे हुआ तो हुआ, आइन्दा के लिये कोई नामिनेशन करें तो ऐसा आदमी न आ जाय जो कम्यूनल आउट-लुक का हो, पैराकियल हो। हमें अपने किस्म का आदमी लेना है, वैसे आदमी कतअन नहीं लेने चाहियें।

18 hrs.

इसके साथ साथ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, वह बड़ी पालुमिनस रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, जिन का यहाँ पर जिक्र नहीं आ सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ—यह जो जिक्र किया बस है, इसमें और बहुत सी बातें हैं जिन को मैं इन्यूमरेट करूँगा।

MR. CHAIRMAN: You can continue your speech tomorrow. Now the House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 30, 1975/Sravana 8, 1897 (Saka).